13

गाँधीजी का समाज कार्य : विधियाँ एवं तकनीक

*एस.आर. बिल्लौरे

प्रस्तावना

हर आन्दोलन, व्यवसाय के लिए निर्धारित उद्देश्य एवं उनकी विधियां होती हैं। जिनके माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। गांधीजी का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना है; गांधीजी द्वारा अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई गई विधियां एवं तकनीक का अध्ययन उचित है। ये विधियां एवं तकनीक मानव इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि इनका उपयोग कभी भी राजनीति व समाजकार्य के क्षेत्र में एक साथ नहीं किया गया।

साधनों एवं लक्ष्यों की शुद्धता

गांधीजी का कथन है कि साधन की उपयोगिता शुद्धता के आधार पर हो ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। गांधीजी के अनुसार उन्होंने स्पष्ट किया है कि लक्ष्यों को उनकी "उपयोगिता के आधार पर सामाजिक उद्देश्यों के हित के लिए किया जाना आवश्यक है। सिद्धान्त रूप में साध्यों का प्रगतिशील उपयोग मत से सहमत हूं। साध्यों के उपयोग की विधि, एक निश्चित क्रम या अनुपात में ही कार्यकारी है। विधि लंबी लगती है परन्तु यह एक छोटे क्रम से ही पूरी हो जाती है"।

अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग

गांधीजी द्वारा अपनाई गई सभी विधियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इनका प्रयोग देश के अतिरिक्त विदेशों में भी विभिन्न नेताओं ने उपयोग कर सफलता प्राप्त की है, जैसे अमरीका में मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने हेतु किया। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में

* *डॉ. एस.आर. बिल्लौरे, भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल*

इनके आधार पर स्वयत्ता प्राप्त की। अतः यह विधियां शाश्वत है। इन उपायों पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति हेतु इनका प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा रहा है।

वृहद स्तर पर उपयोग

गांधीजी के सिद्धान्तों की गहराई में जाने से पहले इनका सूक्ष्म एवं बड़े पैमाने पर उपयोग का अध्ययन करेंगे। गांधीजी के शान्तिपूर्ण तरीके न केवल अछूतों एवं शराब के सेवन तक ही सीमित नहीं थे बल्कि इनका प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य को भी जगाने का था।

गांधीजी द्वारा सामाजिक सुधार एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार केवल व्यक्ति के लिए नहीं था परन्तु समाज के सभी समुदायों और समूहों के लिए था। कुछ प्रकरणों में उन्होंने इसकी, चर्चा अपनी सामयिक बैठकों एवं उनके द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्रिका में कई बार की है। यह एक सामान्य कार्य नहीं है और साथ ही यह उनके द्वारा वैज्ञानिक एवं सामाजिक शोध समाज प्रशासन हेतु किया गया। गांधीजी की पद्धतियाँ समुदायक विकास एवं प्रगति पर आधारित हैं, जो कि एक सुदृढ़ एवं सुसंगठित समाज की सरंचना में सहायक हो। गांधीजी द्वारा अपनाई गई विधियां निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान एवं व्यावहारिक है। इनकी हम आगे दो अलग अलग पद्धतियों के अनुसार विश्लेषण करेंगे।

सत्याग्रह का दार्शनिक आधार

'सत्याग्रह'' संस्कृत का शब्द है जिसका उपयोग गांधीजी ने 1906 में किया था। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इसका अर्थ है ''सत्य का आग्रह'' पर अडिग रहना। यह प्रेम की भाषा एवं न्याय का नियम है। धैर्यपूर्वक सहनशीलता का शांति के साथ अनुकरण करना। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह के सिद्धान्त में कोई नई बात नहीं है। यह कानून के प्रति प्रेम की भाषा है। जैसा की हमारे सामाजिक जीवन में हमारे परिवारों में कई समस्याओं एवं मतभेदों का समाधान इस स्नेह के नियम द्वारा किया जाता है। सिद्धान्तों के लिए घायल या जख्मी व्यक्ति की सेवा गृहस्थी में निरविकार भाव से बिना किए मतान्तर की जाती है। क्रोधी एवं आत्म दुखी व्यक्ति के साथ इनकी प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है।

किन्तु आवश्यक उपचारों के लिए सभी एक मत हो जाते हैं और इस तरह परिवार में सुख शांति दूसरों की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए स्थापित की जा सकती है।

उनका हर कार्य चाहे वह प्रतिकारात्मक हो या त्याग से संबंधित हो परिवार के सुख शांति के लिए होता है। यह प्रेम का कानून है जोकि सार्वभौमिक रूप से परिवार के सारे विश्व में संचालित करता है। और परिवार से प्रारंभ होने वाला प्रेम का कानून हर ओर विस्तृत किया जा सकता है।

गांधीजी के अनुसार गौतम बुद्ध सुकुरात, ईसा मसीह एवं टालस्टाय के उपदेशों के उदाहरण सारे जगत के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इनका प्रयोग दोनों क्षेत्रों के लिए किया जैसे सामाजिक, राजनीति, धर्म प्रेम कुछ और नहीं बल्कि सत्य का अनुकरण ही है। सत्याग्रह एक ऐसा सिक्का है जिसके ऊपर प्रेम-सत्य एवं शान्ति का संदेश अंकित किया गया है। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह सत्य का आग्रह ही नहीं परन्तु अनाकरण सत्य की खोज एवं सत्य को पालने का संकल्प है।

गांधीजी के कथन अनुसार सत्य के अलावा अंहिसा या असहयोग एक सत्याग्रह के मूल तत्व हैं। यह हर तरह की हिंसा के खिलाफ है। चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनावरण या आवरण में हो। "सत्याग्रह" का मूल मंत्र है कि अपने प्रतिद्वंदी के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं रखना चाहिए या उसे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। यह अहिंसा के मूल सिद्धांत हैं।

गांधीजी सत्याग्रह को धर्मयुद्ध कहते थे जिसके लिए न तो झूठ है और न कुछ छल कपट हो, सभी प्रयास पारदर्शी होने चाहिए जिसके लिए हर व्यक्ति सत्य धर्म प्रिय हो।

सत्याग्रह के चारित्रिक लक्षण

1) सत्याग्रही में सत्याग्रह करने से पहले उसके उद्देश्यों की सफलता का ज्ञान एवं निष्ठा होना आवश्यक है।

2) सत्याग्रही को प्रेम, सद्भावना एवं उत्साहवर्धक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ना कि भय या आतंक का। सत्याग्रह सामने वाले के हृदय एवं मस्तिष्क के परिर्वतन हेतु प्रयास करता है।

3) यदि दुराभाव से सत्याग्रह किया जाए तो उसकी सफलता संभव नहीं है। वह जो अपने आपको कमजोर समझते हैं असक्षम रहते हैं। अतः प्रत्येक दिन सुबह हम यह प्रण लें कि हम किसी से भी नहीं डरेंगे अर्थात किसी भी डर का मन में विचार न आए और हम सिर्फ ईश्वर से डरें। हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखें किसी के प्रति अन्याय नहीं करें, न्याय सर्वोपरि है। हमें असत्य पर सत्य से विजय पाना है और सभी के दुख और पीड़ा को मिटाएं।

4) सत्याग्रही को निडर होना चाहिए ताकि प्रतिद्वंदी पर भी भरोसा कर सके। यदि प्रतिद्वंदी 20 बार उसे धोखा देते हैं तो सत्याग्रही को इक्कीस बार भी उस पर विश्वास करना चाहिए एवं उसे शंकारहित होना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मानव स्वभाव में यह विश्वास ही उसका निचोड़ है।

5) सत्याग्रही को हमेशा अपना पक्ष या विचार खुले रखना चाहिए ताकि उनका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन हो सके उनकी त्रुटियों का निराकरण किया जा सके।

6) पूर्व से योजना बनाकर संघर्ष को उचित नहीं माना जाता है सत्य के लिए संघर्ष में ईश्वर स्वयं नियोजित व्यवहार करता है।

7) सत्याग्रही के लिए कोई संघर्ष समय सीमा निश्चित नहीं है। सत्याग्रही को कष्ट या पीड़ा उठाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाना चाहिए सत्याग्रह में हार के लिए कोई स्थान नहीं है।

8) एक बड़े उद्देश्य से किया गया सत्याग्रह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि उसमें कितनी संख्या है किन्तु उसकी सफलता उसकी गुणवत्ता पर निर्भर होता है एक सच्चा सत्याग्रही किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है।

9) सत्याग्रह की अचार संहिता में कठोर ताकतों के सामने समर्पण करने का प्रावधान नहीं है। पीड़ा के कारण भी समर्पण नहीं होना चाहिए, न ही बंदूक के डर से समर्पण होना चाहिए।

10) सत्याग्रह सत्य को प्राप्त करने की एक अनथक प्रयास एवं निश्चय है।

11) सत्याग्रह में महान दीनता, धैर्य एवं विश्वास इसका स्वयं का प्रतिफल है जोकि कोई और नहीं हो सकता है।

12) यथार्थ में यही एक शक्ति है जो शांति के साथ लेकिन धीरे से कार्य करती है। दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नही है जो इतना प्रत्यक्ष रूप में कार्य करती है।

13) सत्याग्रह शालीन है यह कभी जख्म नहीं देता। यह क्रोध या द्वेष के साथ नहीं होता और सत्याग्रह अधैर्य, कट्टर भाषा से नहीं किया जा सकता है ये हिंसा का प्रतिकार करने का सर्वोत्तम उपाय है।

14) सत्याग्रही को हमेशा ही संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और शांति हेतु भी उतना ही आतुर रहना चाहिए। शांति के हर अवसर का स्वागत करने को तत्पर रहना चाहिए।

15) सत्याग्रह प्रगतिशील होता है एवं निरन्तर आगे बढ़ता है। साथ ही दूसरे तत्व भी उसकी प्रगति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।

16) एक बार सत्याग्रह शुरू होने पर उसके प्रभाव सघन एवं प्रर्याप्त होते जाते हैं जो सारे जगत में फैलता जाता है। यह आत्मा की आवाज के प्रदर्शन का सबसे प्रभावशाली ताकत है।

17) यह विश्व की सबसे क्रियाशील एवं प्रभावकारी प्रणाली है। यह सूर्य की तरह दिन ब दिन प्रकाशित होती है। यह सूर्य के समान प्रभावकारी है। यह जीवन में प्रकाश एवं विकिरण की तरह शांतिदायक एवं सुखदायी है।

18) अत: सत्याग्रह प्रत्यक्ष एवं शक्तिशाली साधन है। क्रमश: सत्याग्रह में शनै: शनै: सभी ताकतें समाहित होती जाती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा निरंतर एवं एकाग्रता से संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके

माध्यम से जनता द्वारा अपील, जनता को शिक्षित करना है एवं अपना पक्ष शांतिपूर्वक सभी के सामने रखा जा सकता है। जो भी इसे अपनाना चाहते हैं और अत: इसी के माध्यम से अपने सत्याग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने आन्तरिक भावनात्मक आत्मिक शक्तियों का प्रदर्शन कर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं।

19) मेरे विचार में सत्याग्रह प्रथम एवं अंतिम उपाय है इसके बिना हम स्वतंत्रता की राह पर सफल नही हो सकते।

20) सत्याग्रह की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं।

अ) सत्याग्रह में विरोधियों के प्रति अपने में किसी प्रकार की घृणा या दुर्भावना नहीं होना चाहिए। प्रेम से ही विजय का लक्ष्य प्राप्त करना है।

ब) निश्चित रूप से सत्य एक समाज के कल्याण हेतु होना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सत्याग्रही को अपने उद्देश्य की सफलता के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए।

सत्याग्रही कौन हो सकता है?

सत्याग्रह कौन कर सकता है सत्याग्रह का निचोड़ यह है कि पीड़ित व्यक्ति ही इसको धारण करते हैं। इसको सहानुभूति सत्याग्रह कह सकते हैं जिसका वैधानिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह का उद्देश्य है कि गलत कार्य करने वालों को सचेत किया जाए। उनमें न्याय के प्रति, भावना जागृत किया जाना है। उन्हें बताया जा सके कि गलत कार्य करने वालों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के बिना सत्य को स्थापित किया जा सकता है। यदि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं तो फिर कोई बाहरी तत्व सत्याग्रह को सफल नहीं बना सकता।

सत्याग्रही के लिए आचार संहिता

गांधीजी ने सत्याग्रही के लिए निम्न आचार संहिता का पालन आवश्यक बताया है।

1) सत्याग्रही को ईश्वर में अटल विश्वास होना चाहिए।

2) उसका विश्वास सत्य एवं अहिंसा पर दृढ़ होना चाहिए। अपनी पीड़ा के माध्यम से मानवीय संवेदना एवं ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा होना चाहिए। ताकि सत्य एवं प्रेम को जागृत कर उन्हें प्रसारित किया जाए।

3) उसका जीवन आडम्बर रहित होना चाहिए। साथ ही अपने उद्देश्य की सफलता के लिए सभी तरह का त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

4) उसके जीवन का आवश्यक उद्देश्य खादी पहनना एवं सूत कातना होना चाहिए।

5) सत्याग्रही को मादक द्रव्यों का उपयोग निषेध होना आवश्यक है ताकि वह अपने उद्देश्य के प्रति मानसिक रूप से संतुलित रहे।

6) सत्याग्रही को समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन एवं अनुशासित होना परम आवश्यक गुण है।

सत्याग्रह की विधि

सत्याग्रह की आठ विशेष पद्धतियां हैं। पुरानी तकनीकों में जो उम्र दराज हैं नये संसाधनों के साथ उनको नया अयाम दिया गया है। गांधी एवं उनके अनुयायी द्वारा इनकी आठ विधिया बताई गई हैं जोकि निम्नलिखित हैं।

आग्रह या दबाव

यह सत्याग्रह की सबसे नरम या कोमल विधि है। जोकि गलत नीतियां अपनाने वाले को सीधे हृदय पर चोट करती है। सत्याग्रही का उद्देश्य गलत काम करने वालों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। इसे डराने के लिए नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना उद्देश्य होता है। सत्याग्रही का उद्देश्य सामने वाले का हृदय परिवर्तन करना है। बिना बल का प्रयोग किए उसे आडम्बरहीन होना चाहिए एवं उसकी आत्मा में बदलाव लाना है ताकि वह गलत कार्यों से रूक सके।

सत्याग्रही के विरोधी भी हमारे समान सोच वाले बनें उसके लिए हमें सारी, क्रियायें न्यायपूर्वक करना चाहिए। मैं जानता हूं कि इसके लिए विशेष मानसिकता से ही इस कठिन उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह सत्याग्रही के लिए

परम आवश्यक है। यदि इस आधार पर कार्य किया जाए एवं हम अपनी कठिनाइयों को एवं उनके कारकों को समझें संसार के तीन चौथाई दुखों का लोप हो सकता है। हमारा उद्देश्य शालीनता के साथ दबाव बनाकर विरोधी की मानसिकता एवं हृदय परिवर्तन करना है।

हमें स्वयं कष्ट द्वठाकर विरोधी को जीतना है। बलपूर्वक विरोध के द्वारा किसी देश को अपने अधीन बनाना एवं उसकी जनता को बड़ी कष्ट और पीड़ा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही को इसके लिए बल रहित एवं शांतिपूर्वक उपाय से अपनी जनता को छुटकारा दिलाना है।

एक कठोर हृदय एवं घृणा बिना किसी क्रोध एवं बुराई के संघर्ष के समक्ष विलुप्त हो जाती है। अहिंसा अपने क्रियान्यक रूप में एक जागरूक संघर्ष का नाम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गलत करने या अत्याचार करने वाले के सामने हम हथियार डाल दें। उसकी आत्मा के अंदर से अनाचार को निकाल फेंकना है। यह एक व्यक्ति के द्वारा भी उसकी सम्पूर्ण ताकत को नजर अंदाज उसके अन्यायी साम्राज्य को मिटाया जा सकता है। साथ ही उसके सम्मान, धर्म और उसकी आत्मा को बिना नुकसान पहुंचाए उसे दोबारा सिर उठाने का अवसर न मिले। सत्याग्रही का विषय, उसको कार्य के बीच में अविचल खड़े रहना है। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आएं। सत्याग्रही को किसी भी अंधविश्वास से प्रभावित नहीं होना चाहिए और न ही अविश्वासी लोगों पर क्रोध करना है। सत्याग्रही को जानना चाहिए कि उसकी पीड़ाएं उन्मादी व्यक्ति के पत्थर हृदय को भी पिघलाने की क्षमता उसमें है। सहायता तभी मिलती है जब उसकी कम से कम आशा रखी जाए। उसकी सहयोगी एवं अनुयायियों की यही परीक्षा है। वे अपने आपको उस दुष्ट भूखी आत्मा को जलती हुई भट्टी में झोंकने को भी तैयार रहें। ताकि उसे इस बात का एहसास रहे कि उन्हें समर्पण ही करना है।

उपवास- उपवास की तकनीक को गांधीजी निरंतर प्रयोग में लाते थे। उन्होंने इसका 17 बार उपयोग किया, ब्रिटिश साम्राज्य की अन्यायी प्रवृत्ति के विरूद्ध तीन बार हरिजन एवं अछूतों के हित के लिए तीन बार साम्प्रदायिक दंगों के दमन हेतु, अहिंसा एवं उपद्रव हेतु चार बार, आत्मशुद्धि एवं प्रायश्चित्त के लिए तीन बार एवं मिल कर्मचारियों की समस्याओं के लिए भी प्रयोग किया,

अनिश्चित कालीन उपवास तीन बार, उन्होंने तीन दिन से लेकर 17 दिन तक का उपवास किया। गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह की अस्त्रशाला में उपवास एक सबल एवं सार्थक हथियार है जिसे हर कोई नहीं ले सकता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला ही इसका उपयोग कर सकता है। यह कोई तकनीकी अस्त्र नहीं है।यह आत्मा में निहित रहता है। इसीलिए यह अभिनव अस्त्र है। सत्याग्रही स्वार्थ, क्रोध एवं नास्तिक अधैर्यवान नहीं होना चाहिए, तभी उसके उपवास सार्थक होगा। उसे दृढ़ सहनशील, ठोस इच्छा शक्ति, एवं शांत होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति में सभी गुण एक साथ नहीं होते, किंतु उसे अहिंसा के नियमों के अनुकूल सत्याग्रह एवं उपवास के नियमों को मानना आवश्यक है। वह जो अहिंसा के नियमों का पालन नहीं करता उसे सत्याग्रही उपवास नहीं रखना चाहिए। उपवास कठोर काम है, किंतु खतरे से परे है। मुझे जब महसूस होता है जब मैं नीति विरोधी या अन्यायी हूं।तब मैं उनके शमन के लिए उपवास करता हूं।

उपवासः वैधानिक और अवैधानिक

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपवास से किसी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसा उपवास अपने स्वार्थ को प्राप्त करने का एक मात्र हथकंडा हो सकता है। यदि उपवास धन प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह बल के प्रयोग के समान है जो अनैतिक एवं अनुचित एवं निंदनीय है। मुझे इन कार्यों का प्रतिरोध करने का अधिकार है। जो अनावश्यक प्रभाव डालना चाहते हैं। उन सभी बुराईयों को मैंने अपनी क्षमता अनुसार हमेशा प्रतिकार या विरोध किया है। कई बार यह कठिन होता है कि कौन सा विरोध स्वार्थीपन के लिए है या स्वार्थ रहित है। अतः इन दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो फल की इच्छा से किया जाता है, वह स्वार्थ है। अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि अमान्य करने से उपवास करने वाले की मृत्यु भी हो सकती है।

अधम कार्यों के लिए किया गया उपवास जनता द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। यह अनावश्यक एवं क्रूर उद्देश्यों के लिए हो तो उसे समाज द्वारा मान्य नहीं किया जाता है। इसे लूट की संज्ञा दी जाती है। सभी मानवीय संस्थाओं द्वारा उपवास को अच्छे उद्देश्य के लिए कानून सम्मत माना जाता है एवं स्वार्थी कारणों या अनावश्यक दबाव बनाने के लिए किया गया उपवास अवैधानिक होता है।

उपवास प्रभु को संबोधन है

झूठे एवं दिखावे वाले उपवास एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है जो हानिकारक हैं। किंतु जब उपवास कर्तव्य बन जाता है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जनहित में किया जाने वाला उपवास सराहनीय है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि हर अच्छे कार्य को लोग हृदय दृष्टि से देखते हैं। जब कल्पना शक्ति खत्म हो जाती है तब उपवास होता है। उपवास एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जोकि भगवान को समर्पित होता है। जब मानस पर उपासक का प्रभाव गुणकारी है तब वह हमेशा चैतन्य या जागृत रहता है।

अंतिम सहायता- सत्याग्रही उपवास को अंतिम अस्त्र के रूप में मानता है। जब सारे उपाय विफल हो जाते हैं तब उपवास की आवश्यकता होती है। उपवास में नकल एवं दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं है। वह जो भीतर से इसके इच्छुक हैं, उन्हें बिना सफलता की उपेक्षा किए हुए उपवास रखना चाहिए। सत्याग्रही दृढ़ इच्छा शक्ति से उपवास शुरू करता है इसे अंत तक इसको पूरा करना चाहिए, चहे इससे फल प्राप्त हो या न हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपवास फलदायी नहीं होगा। जो फल प्राप्ति के लिए उपवास करते हैं वह अक्सर असफल होते हैं और यदि वे सफल भी होता है तो उसको आंतरिक प्रसन्नता व उत्साह नहीं होता है।

मृत्यु तक उपवास

अंतिम सांस तक उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार में एक प्रभावशाली शस्त्र है। उपवास एक अलौकिक क्रिया है किंतु उसको सभी परिस्थितियों में नियमों सहित स्वीकृत करना चाहिए। उपवास महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके पीछे जो जन कल्याण का उद्देश्य समाहित है वह महत्वपूर्ण है। उपवास कोई मिशनरी प्रक्रिया नहीं है यह शक्तिशाली किंतु खतरनाक साधन है। इसके लिए पूर्ण आत्मशुद्धि एवं मृत्यु का सामना करने की खुले दिमाग से निश्चितता होना चाहिए। त्याग का यह एक कार्य (उपवास) सारे विश्व के लिए पर्याप्त है। ऐसा ईसा मसीह के उदाहरण में मिलता है।

असहयोग-गांधी जी का कथन है कि असहयोग एक शक्तिशाली एवं शुद्ध औजार है जिसे करने के लिए शुद्ध आत्मा होना चाहिए। साथ ही इसके करने

से आभास होता है जैसे हम ईश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं एवं तत्पश्चात् सारी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। जब हम सभी को उसकी अनंत शक्ति का बोध हो जाता है। गांधीजी के अनुसार राष्ट्र को अच्छा एवं महान बनाने के लिए उसके नागरिकों में आत्मनियंत्रण संयुक्त कार्य करने की भावना, अहिंसक, संगठन जैसी अच्छाइयां होना अति आवश्यक है आगे उनका कहना है कि कोई भी उपाय इतना स्वच्छ अहानिकारक एवं प्रभावशील नहीं है। जितना असहयोग यदि विधि सम्मत किया जाए। इसकी सघनता जनमानस के त्याग एवं शुद्धता पर निर्भर करती है।

असहयोग को सहयोग का निहित कर्त्तव्य मानते हैं। कोई भी दूसरों की गलती के लिए सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दासता एक अभिशाप है। आजादी सभी के सहयोग से ही मिलती है। शुभ चिंतकों को इससे दूर नहीं रखा जा सकता। यदि आजादी मिलती है तो इसकी चमक बरकरार रहती है। यदि आजादी असहयोग एवं अहिंसा से प्राप्त की जाती है। गांधीजी मानते हैं कि असहयोग के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ना कि हिंसा के द्वारा और गलत करने वालों की यह अंतिम परीक्षा है। हम भारतीयों को असहयोग के माध्यम से ही सफलता मिलती है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि हम भारतीयों ने निश्चित ही असहयोग के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की है।

अनंत असहयोग सत्याग्रह के शास्त्रागार का प्रमुख हथियार है। यह प्रतिद्वंदी का सहयोग प्राप्त करने का अचूक अस्त्र है जोकि सत्य एवं न्याय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अहिंसा का सार यह है विरोधी के विरोध को समाप्त करना न कि विरोधी को असहयोग की व्यवस्था में प्रतिपक्षी के नकारात्मक रुख में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। सत्याग्रही का लक्ष्य संबंधों को तोड़ना नहीं बल्कि इसका शुद्धिकरण एवं परिवर्तन है।

बहिष्कार

किसी व्यक्ति या समूह सामूहिक रूप से सम्बन्ध तोड़ना ही बहिष्कार कहलाता है। यह भारतीय समाज के लिए नई बात नहीं है। हजारों वर्षों से जाति या परिवार से सम्बन्ध विच्छेद करने की सजा गांव की पंचयातों द्वारा सबसे

दुःखदायी सजा है। बहिष्कार निरस्त करने की शर्त एवं नियम बहुत कष्टदायी है जिसके बदले में पंचायतें आर्थिक जुर्माना भी लगाती हैं। गांधीजी ने इस अस्त्र का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य या आर्थिक सामाजिक सुधारों के लिए किया था। गांधीजी ने, बहिष्कार का प्रयोग मुख्यतः तीन प्रमुख संस्थाओं के प्रति किया था जो ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित एवं शक्तिशाली बनाते थे। वे तीन संस्था, विधानसभा, न्यायालय और सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं थी। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था। विदेशी वस्तुओं का निषेध एवं घर में ही बनी वस्तुओं का प्रयोग सुझाया था। इससे गृह उद्योग को सरंक्षण मिल जाता था। विशेषतः छोटे कुटीर उद्योगों को सरंक्षण मिल जाता था। विशेषतः छोटे कुटीर उद्योग जिन पर लाखों गरीबों का जीवन, केन्द्रित था, मेरे विचार से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से किसी का भी नुकसान नहीं होता और इसके बहिष्कार से कई लोगों को नुकसान होगा यह स्वदेशी की एक संकीर्ण व्याख्या है।

परिणामस्वरूप कांग्रेसजनों से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया। असंख्य विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने स्कूल कालेज छोड़कर स्वतंत्रता के आन्दोलन में हिस्सा लिया। लाखों लोगों ने विदेशी वस्तुएं खरीदना बन्द कर दिया एवं जगह-जगह विदेशी कपड़े जो इंग्लैंड एवं अन्य देशों से बनकर आते थे उनकी होली जलाई। अतः बहिष्कार एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में सिद्ध हुआ जिसने देश की स्वतंत्रता एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारों के लिए उपयोग किया।

सविनय अवज्ञा

गांधीजी जन अवज्ञा को संवैधानिक, आन्दोलन का, अनुपम अस्त्र मानते थे। उनके अनुसार, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक स्वस्थ प्रभावकारी संवैधानिक आन्दोलन है। चूंकि, यह एक अपमानजनक या छलपूर्ण हो जाता है यदि अहिंसा के बतौर इसका उद्देश्य शत्रु को नीचा दिखाना या छल करना न हो यदि असहयोग, ईमानदारी से किया जाए तो उसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा या आवेश में किया गया असहयोग उग्र रूप या हिंसा का रूप धारण कर लेता है। आंदोलन सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के जोखिम उठाना पड़ते हैं। जीवन में यदि संकट या जोखिम नहीं है तो जीवन

व्यर्थ है। पुराने लोग कहते हैं कि यदि प्यार में जोखिम न हो तो वह निरर्थक माना जाता है। अवज्ञा एक वंशानुगत हथियार है जिसके लिए व्यक्ति में साहस एवं उत्साह होना अनिवार्य है। यह कार्य जन अवज्ञा, राजतंत्र या आपराधिक प्रवृत्ति के द्वारा संभव नहीं है। प्रत्येक राज्य अपराधों का दमन बलपूर्वक करते हैं। सत्याग्रही समाज के नियमों के तहत विवेकपूर्ण एवं शुद्ध आत्मा दृढ़ इच्छा से इसे एक पवित्र कार्य हेतु प्रयोग करता है। व्यक्ति अनैतिक कार्यों हेतु सत्याग्रह करता है तो उसे न्याय या अन्याय पाप या पुण्य की परिधि तय करनी पड़ती है। तभी वह अवज्ञा के औचित्य को परिस्थिजन्य समस्या को ठीक रूप से संचालित कर सकता है।

शर्त, पूर्व दृष्टांत- सार्वजनिक आंदोलन के लिए सबसे अहम सिद्धांत है कि उसमें किसी हिंसा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। वह निश्चित व्यक्तियों या सामान्य जनमानस द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही राज्य या प्रतिपक्षी संस्था द्वारा उन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वो हिंसा का सहारा ले सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जनविरोध हिंसा के वातावरण में अधिक दिनों तक नहीं चल सकता अतः यह स्पष्ट है कि सिविल अवज्ञा अहिंसात्मक होना चाहिए।

धरना

धरना हिन्दी और उर्दू का शब्द है जिसे हम किसी के घर के सामने या आफिस के सामने बैठकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। गांधी जी के अनुसार यह एक क्रूर कार्य होता है। इससे प्रतिद्वंदी पर अनावश्यक दबाव अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता है। गांधी जी के अनुसार यह एक कायराना एवं तिरस्कृत कार्य है। इसे हम हिंसक कार्य कहते हैं। किंतु यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अपने प्रतिद्वंदी से लड़ाई का यह अर्थ नहीं कि उसकी कमजोर परिस्थिति का फायदा उठाकर उसे अपमानित किया जाए। यह एक घृणित एवं तिरस्कृत कार्य है। यदि हम प्रजातंत्र की सच्ची भावना को जन्म देना चाहते हैं तो हमें सहनशील होना होगा अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते। गांधीजी जी के अनुसार धरने के अलावा लोगों को काम करने से रोकना। जिससे प्रतिद्वंदी पर एक स्वस्थ्य दबाव बनाया जा सकता है। यह कार्य एक समुदाय संगठित जनमानस या स्वयंसेवकों द्वारा किया जाना चाहिए। विशेषतः

महिलाओं द्वारा विदेशी वस्त्रों या विदेशी शराब की दुकानों के सामने उनका उपयोग या सेवन करने वाले ग्राहकों को समझाकर किया जाता है। इसके लिए उन्हें दुकानदारों या अन्य सामाजिक तत्वों के विरोध का धैर्यपूर्वक अहिंसा के साथ सामना करना चाहिए।

हड़ताल

गांधी जी के कथन अनुसार सत्याग्रह की अन्य विधियों में हड़ताल भी एक कारगर अस्त्र या तरीका है। वह सामान्य या औद्योगिक ही क्यों न हो उसका भी आधार सत्य एवं अहिंसा पर होना चाहिए। उनके विचार अनुसार हड़ताल की प्रकृति एवं लक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए। अन्य प्रकरण जो सामान्य जनमानस या राजनैतिक दलों द्वारा लगाए जाते हैं। उनका भी स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए।

हड़ताल के प्रकार या प्रकृति

1. किसी भी परिस्थिति में भी हमारा लक्ष्य अहिंसा के द्वारा ही समस्या का समाधान होना चाहिए। सत्ता या बल प्राप्तिके लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
2. हड़ताल गुणों के आधार पर होना चाहिए, जोकि न्यायोचित है जिन्हें जनमानस का समर्थन प्राप्त हो।
3. आर्थिक सम्पन्नता के लिए या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का प्रयोग वर्जित है। बल्कि इसका प्रयोग दूरदर्शितापूर्ण परिणामों के लिए होना चाहिए। इसके परिणाम हड़ताल करने वालों के हित में नहीं होते। जबकि वे जनजीवन एवं समाज को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप पोस्टल हड़ताल वगैरह से जनता को अनावश्यक असुविधा होती है।

हड़ताल और जनता

1. यदि जनता निष्पक्ष भाव से हड़ताल का समर्थन करे तो उसकी सफलता निश्चित है और जनता का विश्वास भी प्राप्त कर लेती है। स्वार्थी लोग इसकी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते हैं। अत: दोनों पक्षों को किसी न्यायिक अभिकरण के माध्यम से समस्या का हल निकालना चाहिए।

2. नियमानुसार जनता के सामने समस्या तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वह न्यायालय या अभिकरण के पास निर्णय के लिए लम्बित रहे। ऐसे प्रकरण बहुत आते हैं। कर्मचारी अपने स्वार्थों के लिए लोगों को भड़काते हैं जिससे झगड़े की पूरी संभावना रहती है।

3. भावनात्मक हड़ताल रुकावट बन जाती है और आंदोलनकारी अपने संवैधानिक अधिकारों को भूल जाते हैं।

मजदूर का कर्त्तव्य

1. न्याय प्राप्ति के लिए मजदूरों का हड़ताल वैधानिक अधिकार है। लेकिन वह अपराधों का रूप धारण कर लेते हैं। जब पूंजीपति उन्हें न्यायिक अभिकरणों में ले जाते हैं।

2. भारतीय मजदूर दया का पात्र हो जाता है, यदि उन्हें वह सारे सलाहकार या मार्गदर्शक मिल जाते हैं। मजदूर हमेशा सतर्क रह पाता और न ही बुद्धि से निर्णय ले सकता है। पूंजीपति या उद्योगपति उन्हें एक बाजार की तरह उपयोग करते हैं, ताकि पूंजीपति धन अर्जित कर सकें। अतः उन्हें सतर्कतापूर्वक अपने हथियार नहीं डालना चाहिए। राजनैतिक हस्तक्षेप से भी मजदूर दुविधा में पड़ जाता है। क्योंकि राजनीति उसे सत्ता या लाभ के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करती है।

3. मजदूरों को अपने राजनीतिक तौर पर उपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि यह देश के वातावरण या परिस्थितियों एवं जनहित के अनुकूल नहीं है।

4. आज देश में हड़ताल, धरना सिर्फ मजदूरों के उत्थान के लिए होना चाहिए परन्तु इसका उद्देश्य देशभक्ति से नहीं मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है।

5. हड़ताल सर्वसहमति से होनी चाहिए न कि किसी छल या चालाकी के दबाव से होनी चाहिए। उसमें गुंडातत्व या लूटपाट करने वाले शामिल न हों। हड़तालियों के बीच आपस में सामंजस्य एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए। यह बलपूर्वक नहीं बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए।

6. हड़तालियों में से यदि कुछ मजदूर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा या आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बूढ़े एवं महिला कर्मचारियों के साथ भी शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

7. हड़तालियों को कुछ काम स्वयं या संयुक्त रूप से करना चाहिए। जिससे वह अपने परिवार के लिए हड़ताल के दौरान साधन जुटा सकें। इस कार्य की रूपरेखा पहले ही तय कर लेनी चाहिए। हड़ताल प्रभावकारी एवं शांतिपूर्वक होनी चाहिए। लूटपाट या मारपीट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। "मैं इस तरह की हड़तालों से वाकिफ हूं, जिन्हें बिल्कुल ही शालीन एवं शांतिपूर्वक तरीके से सफल बनाया गया है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है"।

नियोक्ता की भूमिका

मजदूरों की हड़ताल होती है तो नियोक्ता का व्यवहार क्या होता है? वर्तमान स्थितियों में यह जानना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अमेरिकन उपनाम सर्वप्रथम है। जिसे गुंडावाद की संज्ञा देते हैं। यह एक गलत एवं विन्ध्वसंक कार्य है। हड़ताल को उसके सिद्धांतों एवं गुणों के आधार पर अच्छे या बुरे की समीक्षा की जाती है। इसके लिए मजदूरों को हड़ताल की सफलता के लिए संयमित व्यवहार करना चाहिए।

सफलता की शर्तें

हड़ताल की सफलता के लिए जिन शर्तों को गांधीजी ने बताया है वह निम्नलिखित हैं।

1. हड़ताल का कारण न्यायोचित एवं सामाजिक हित के लिए होना चाहिए। हड़तालियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बल्कि व्यावहारिक सामंजस्य होना चाहिए।
2. गैर हड़तालियों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3. हड़ताल के दौरान हड़तालियों को अपने परिवार के पोषण के लिए यूनियन चंदे पर निर्भर न होकर किसी अस्थायी उत्पादक व्यवसाय में अपने आपको लगाकर अपने परिवार के पोषण हेतु धन जुटाना चाहिए।
4. कई बार उद्योगपति या मिल मालिकों को दूसरे मजदूर मिल जाते हैं और वे अस्थाई तौर से उनसे काम कराकर हड़ताल को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। गांधीजी के अनुसार ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को एक मात्र उपाय बताया है।

5. उपरोक्त शर्तों को नहीं माने जाने पर हड़ताल की सफलता संदिग्ध रहती है। जिससे प्रतिद्वंदी को हमारी कमजोरियों का एहसास हो जाता है। हम यदि असफल या बुरे उदाहरणों को अपनाते हैं तो यह एक भूल है। हड़ताली को हड़ताल के लक्ष्य एवं उसकी सफलता के लिए निहित उद्देश्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हड़ताल की सफलता नियमों के पालन से ही संभव है।

सारांश

गाँधीजी के समाज कार्य की समस्त पद्धतियों और तकनीकों का एक संकलित नाम "सत्याग्रह" हो सकता है जोकि राजी करना, आत्म पीड़ा, उपवास, असहयोग, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, धरना देना व हड़ताल आदि है। यह सभी पद्धतियां गाँधीजी के मूल्यों अर्थात् सत्या और अहिंसा पर आधारित है। प्रत्येक सत्याग्रही को सत्याग्रहियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिये। गाँधीजी के समाज कार्य में हड़ताल का उपयोग अलग तरीके से हुआ है तथा संबंधित साहित्य में नियोक्ताओं की भूमिका और श्रमिकों तथा जनता की भूमिका की विस्तार से चर्चा की गई है।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

भारती, के.एस. (1991), द सोशल किलॉसॉकी- ऑफ महात्मा गाँधी कॉन्सेप्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

धर्माधिकारी, दादा (1962), अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया (हिन्दी) ए.बी. सर्व सेवन संघ, वाराणसी

दिवाकर, आर.आर. (1946), सत्याग्रह : इट्सय टेक्नीक्स एण्ड हिस्ट्री, हिन्द किताब्स, बॉम्बे।

दिवाकर, आर.आर. (1950), सत्याग्रह : द पाथवे टू पीस, पुस्तक भंडार, पटना

गाँधी, एम.के. (1951), सत्याग्रह : नॉन वॉयलेंट रेसिस्टेन्स, नवजीवन, अहमदाबाद।

मशरूवाला, के.जी. (1953), प्रैक्टिकल नॉन- वायलेंस, नवजीवन अहमदाबाद।

प्रभु, आर.के. एण्ड राओ, यू.आर. (1987), द माइण्ड ऑफ, महात्मा गाँधी, नवजीवन अहमदाबाद।

प्यारेलाल, (1969), गाँधीयन टेक्नीक्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, नवजीवन अहमदाबाद।

राय, ए.एस. (2000), गाँधीयन सत्याग्रह, एन एनालिटिकल अप्रोच, कॉन्सेप्ट पब्लिशर्स, न्यू देहली।

संथानम, के. (1960), सत्याग्रह एण्ड स्टेट, भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे।